इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल 2013—चैत्र 20, शक 1935

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

### सूचना

क्र. 18-1-91-मध्यम्-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 40, 92 एवं 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

### प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 71-क में, उपनियम (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(तीन) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जल का आवंटन किए जाने के लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा निम्नलिखित रीति में जलकर जमा कराया जाएगा:—

(क) औद्योगिक इकाई द्वारा आवंटित जल की वार्षिक मात्रा के अनुसार एक माह के जलकर तथा उपकर के समतुल्य राशि, आवंटन शुल्क के रूप में संदत्त की जाएगी.

(ख) औद्योगिक इकाई द्वारा आवंटित जल की वार्षिक मात्रा पर दो माह की अवधि के समतुल्य जलकर तथा उपकर की राशि के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति के रूप में नगद जमा कराई जाएगी. इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

(ग) यदि औद्योगिक इकाई जल आवंटन आदेश जारी होने की तारीख से 48 मास के भीतर औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ नहीं करती है तो औद्योगिक इकाई आवंटित जल की वार्षिक मात्रा पर देय जलकर तथा उपकर के 5 प्रतिशत के समतुल्य जलकर का भुगतान करेगी. औद्योगिक इकाई को उपरोक्त शुल्क केवल एक वार्षिक किस्त में अथवा प्रतिमाह जमा कराने का विकल्प होगा:

परन्तु यह उपबंध मध्यप्रेदश पावर जनरेटिंग कम्पनी को लागू नहीं होगा.

(घ) यदि औद्योगिक इकाई, जल आवंटन आदेश जारी होने की तारीख से 72 मास तक अथवा उसके लिये अधिकृत तौर पर बढ़ाई गई अवधि में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ नहीं करती है तो जल आवंटन आदेश निरस्त समझा जाएगा और उपरोक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रतिभूति राशि समपहृत हो जाएगी.

(ङ) औद्योगिक इकाई को भिन्न-भिन्न इकाइयों में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत करने का विकल्प होगा, बशर्ते ऐसी दो इकाइयों के मध्य उत्पादन प्रारंभ होने की अवधि में 6 मास से अधिक का अन्तर न हो. यदि ऐसी दो इकाइयों में औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख अलग-अलग है और अवधि में 6 माह से अधिक अवधि का अन्तर हो तो आवंटित जल की पूर्ण मात्रा के 90 प्रतिशत की दर से जलकर एवं उपकर प्रभारित किया जाएगा.

(च) औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर, औद्योगिक इकाई प्रतिभूति राशि को संपरिवर्तित कर सकेगी और दो मास की जलकर एवं उपकर की राशि के समतुल्य बैंक गारंटी जमा कर प्रतिभूति राशि को चालू मासिक देयकों में समायोजित करा सकेगी.

(छ) उपरोक्त उपखण्ड (क) से (च) तक के उपबंध उन सभी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में भी लागू होंगे, जिन्होंने 13 जुलाई 2012 तक औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया हो, भले ही उन्हें जल आवंटन का आदेश उक्त तारीख के पूर्व किया गया हो. ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयों को तीस दिन का नोटिस दिया जाएगा और यदि औद्योगिक इकाई अधिकथित समय के भीतर उक्त नियम का पालन नहीं करती है तो उसका जल आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.''.

## NOTICE

Order No. 18-1-91-Medium-XXXI.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Irrigation Rules, 1974, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 40, 92 and 93 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), is published as required by sub-section (3) of Section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

## DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules ,—

In rules 71-A, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The water tax shall be deposited by the industrial units for the allocation of water by the Government of Madhya Pradesh in the following manner :—

(a) the water allocation fees shall be paid by the industrial units equivalent to the amount of one month water tax and cess on the annual allocated quantity of water;

(b) industrial units shall deposit the security amount equivalent to the amount of two months charges of water tax and cess on the annual allocated quantity of water in cash and no interest shall be paid on this amount;

(c) if industrial unit does not start industrial production within 48 months form the date of issue of water allocation order, then the industrial unit shall pay water tax equivalent to 5% of the water tax and cess payable on the annual allocation of water. The industrial unit shall have the option of depositing the above fees on a monthly basis or in a single annual installments:

Provided that this provision shall not be applicable to the Madhya Pradesh Power Generating Company;

(d) if in case industrial unit does not start industrial production upto 72 months from the date of issuance of water allocation order or the authorized extended period therefor, then the water allocation order shall be deemed to be cancelled and the security amount mentioned in above clause (b) shall stand forfeited;

(e) the industrial units shall have an option to fix defferent dates for different units for commencing its industrial production, provided the difference between the period of commencing the production in two such units is not more than six months. If commncing dates of starting production in two units is defferent and is more than 6 months, then the water tax and cess shall be charged at the rate of 90% of the total quantity of annual allocated water;

(f) on starting of the industrial production the industrial units may convert the security amount and deposit the amount equivalent to two months water tax and cess as bank guarantee and the deposited security amount may be adjusted in current monthly water bills;

(g) the provisions of above sub-clauses (a) to (f) shall also be applicable to the industrial units who have not started industrial production till 13th July 2012 even if the order of water allocation had been issued before the said date. Thirty days notice shall be served to all such industrial units and if the industrial units do not comply with the above rule within the stipulated period, then the water allocation shall be cancelled.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. एस. टेकाम,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2013.